मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

बुधवार, दिनांक 9 मार्च, 2011 (फाल्गुन 18, 1932)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.33 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित में से 11 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अन्तर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 110 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 105 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री पारस सकलेचा, सदस्य ने प्रदेश की बोर्ड परीक्षा के नियमों में फेरबदल किये जाने,
(2) श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने श्योपुर के ग्राम पारोद के विस्थापितों को मुआवजा न मिलने,
(3) श्री रामकिशोर कावरे, सदस्य ने परसवाड़ा के कई ग्रामों में स्कूल भवन न होने,
(4) राव देशराज सिंह यादव, सदस्य ने दतिया के ग्राम मुनवाहा में चैकपोस्ट हेतु कृषक की भूमि ली जाने,
(5) श्री ध्रुवनारायण सिंह, सदस्य ने प्रदेश/केन्द्र के दौरे की सूचना संबंधित क्षेत्रीय विधायक को न दी जाने,
(6) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य ने प्रदेश में हुए तुषार से नष्ट फसलों का मुआवजा न मिलने तथा
(7) श्री रामप्यारे कुलस्ते, सदस्य ने मण्डला जिले की तहसील नारायणगंज में तहसीलदार एवं स्टाफ न होने,
संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री कैलाश विजयवर्गीय, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री ने -
(क) मध्यप्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 41वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा, वर्ष 2006-07 तथा
(ख) मध्यप्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल का 35वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा, वर्ष 2005-06
पटल पर रखे।

4. ध्यानाकर्षण

(1) श्रीमती नीना विक्रम वर्मा, सदस्य ने धार जिले के कृषकों को फसल बीमा की राशि न मिलने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने वक्तव्य दिया।

(2) श्री तुलसीराम सिलावट, सदस्य ने इंदौर जिले के सांवेर क्षेत्र के अन्तर्गत कृषकों पर विद्युत चोरी के प्रकरण बनाये जाने की ओर राज्यमंत्री, ऊर्जा का ध्यान आकर्षित किया।

श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री, ऊर्जा ने वक्तव्य दिया।

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य की सागर जिले के -

- (क) ग्राम मढ़ैया गौड़ तालाब से सिंचाई हेतु पानी दिये जाने,
- (ख) ग्राम भापेल में पुल के पास स्टापडेम निर्माण किये जाने,
- (ग) ग्राम कर्रापुर में कन्या हाई स्कूल खोले जाने,
- (घ) ग्राम कर्रापुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 30 बिस्तरों की व्यवस्था किये जाने,
- (ङ) ग्राम राजाखेड़ी में माध्यमिक शाला का उन्नयन किये जाने,
- (च) पदमाकर चौकी को थाने में परिवर्तित किये जाने, तथा
- (छ) ग्राम लोटना के पास धसान नदी पर स्टाप डेम का निर्माण किये जाने,

(2) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य की राजगढ़ जिले के -

- (क) खिलचीपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य भवन का निर्माण किये जाने,
- (ख) खिलचीपुर सोमवारिया में सामुदायिक भवन निर्माण कराये जाने, तथा
- (ग) ग्राम गाडाहेर में सामुदायिक भवन निर्माण किये जाने,

(3) श्री मनीराम धाकड़, सदस्य की मुरैना जिले के -

- (क) ग्राम निरारा में स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय की बाउन्ड्रीवाल निर्माण किये जाने,
- (ख) ग्राम कलुआपुरा में सड़क मार्ग का निर्माण किये जाने,
- (ग) ग्राम वूठी सिरचरा में शासकीय माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन किये जाने,

(4) श्री सुदामा सिंह सिग्राम, सदस्य की अनूपपुर जिले के ग्राम जैतहरी में महाविद्यालय खोले जाने,

(5) श्री अभय कुमार मिश्रा, सदस्य की रीवा जिले के सेमरिया में शासकीय कन्या हाई स्कूल का भवन निर्माण एवं स्टाफ के पदों की पूर्ति कराये जाने,

(6) श्री रामखेलावन पटेल, सदस्य की सतना जिले के -

- (क) अमरपाटन विकास खण्ड के ग्राम मझगवां, रैकवार, आमिन, ओबदा में शासकीय माध्यमिक विद्यालयों का उन्नयन किये जाने तथा
- (ख) ग्राम छिरहा, गुढवा, बम्हनाडी, रसौड़ी में विद्युतीकरण किये जाने

संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं।

6. गृह मंत्री का प्रश्न के उत्तर में संशोधन सम्बन्धी वक्तव्य

श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने दिनांक 26 जुलाई, 2010 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 73 (क्रमांक 1575) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य दिया।

7. वर्ष 2011-12 की अनुदानों की मांगों पर मतदान

(1) श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 1	सामान्य प्रशासन के लिए दो सौ बयालीस करोड़, तैंतीस लाख, इकतालीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 2	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिए चौंतीस करोड़, नौ लाख, छियालीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 38	आयुष के लिए दो सौ उनचास करोड़, एक लाख, चौवन हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 48	नर्मदा घाटी विकास के लिए सात सौ सतासी करोड़, इकतालीस लाख, उनचास हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 65	विमानन के लिए सैंतीस करोड़, अठारह लाख, छियालीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 71	जैव विविधता (बायो-डायवर्सिटी) तथा जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नालॉजी) के लिए दो करोड़, बावन लाख रूपये तथा
अनुदान संख्या - 73	चिकित्सा शिक्षा के लिए दो सौ इक्यानवे करोड़, पांच लाख, नब्बे हजार रूपये

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 1	1, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 18, 19, 22, 25
मांग संख्या - 2	1, 2, 4, 5, 6, 7, 10
मांग संख्या - 38	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
मांग संख्या - 48	1, 2, 4, 5, 10
मांग संख्या - 65	1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11
मांग संख्या - 71	1, 3, 4, 6
मांग संख्या - 73	1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14

8. कटौती प्रस्ताव सम्बन्धी अध्यक्षीय व्यवस्था

(1) श्री कैलाश विजयवर्गीय, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार मंत्री द्वारा बजट सत्र में कटौती प्रस्तावों के महत्वपूर्ण होने के कारण, कटौती प्रस्ताव के प्रस्तुतकर्ता सदस्यों को सदन में उपस्थित रहने हेतु आसंदी से निर्देश देने की मांग की गई। इस पर चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, उप नेता प्रतिपक्ष द्वारा कटौती प्रस्तावों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही से प्रस्तुतकर्ता सदस्यों को यथासमय अवगत कराने हेतु मंत्रीगण को निर्देशित करने की मांग आसंदी से की गई।

माननीय अध्यक्ष द्वारा इस मामले पर उचित समय पर व्यवस्था देने के लिये सदन को आश्वस्त किया गया।

9. वर्ष 2011-12 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री के.पी. सिंह
(2) श्री शंकरलाल तिवारी
(3) श्री रामलखन सिंह
(4) श्री लक्ष्मण तिवारी

(अपराह्न 1.03 से 2.37 बजे तक अन्तराल)

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

(5) डॉ. गोविन्द सिंह
(6) श्री राजकुमार उरमलिया
(7) श्री पारस सकलेचा

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(8) श्री ओमप्रकाश वीरेन्द्र कुमार सखलेचा
(9) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर
(10) श्री प्रेमनारायण ठाकुर
(11) श्री गोविन्द सिंह राजपूत
(12) श्री गिरिजाशंकर शर्मा
(13) श्री रामनिवास रावत
(14) श्री ताराचन्द बावरिया
(15) श्री राधेश्याम पाटीदार
(16) श्री आरिफ अकील
(17) श्री देवेन्द्र वर्मा

(18) श्री सुदामा सिंह सिग्राम

सभापति महोदय (श्री केदारनाथ शुक्ल) पीठासीन हुए।

(19) श्री मदन कुशवाह

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

श्री कन्हैयालाल अग्रवाल, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन, श्री महेन्द्र हार्डिया, राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा तथा श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 22	नगरीय प्रशासन एवं विकास -नगरीय निकाय के लिए दो सौ साठ करोड़, तिरासी लाख, सत्ताईस हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 72	भोपाल गैस त्रासदी-राहत एवं पुनर्वास के लिए साठ करोड़ छियासठ लाख, तीन हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 53	अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए एक सौ दो करोड़, दस लाख, सात हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 68	आदिवासी क्षेत्र उप योजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए तिरेसठ करोड़, छह लाख, सत्तावन हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या - 75	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए तीन हजार चार सौ छत्तीस करोड़, बहत्तर लाख, उनचास हजार रूपये,

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	**कटौती प्रस्ताव क्रमांक**
मांग संख्या - 22	1, 5, 6, 11, 13, 16, 23
मांग संख्या - 72	1, 3, 5,
मांग संख्या - 53	1, 2, 4, 8
मांग संख्या - 68	1, 4
मांग संख्या - 75	1, 3, 8, 14, 15

अपराह्न 5.58 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 10 मार्च, 2011 (फाल्गुन 19, 1932) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिये स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 9 मार्च, 2011